निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायिकी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

Ref. No. DICGC/RMC/4142/11.02.997/2017-18 March 01, 2018 The Registrar of Co-operative Societies	सदर्भसं.डीआईसीजीसी/आरएमसी/4142/11.02.997/2017-18 01 मार्च, 2018 सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
Extension of period for Recovery of Assets to Liquidators	परिसमापकों के लिए आस्तियों की वसूली की अवधि को आगे बढ़ाया जाना।
Dear Sir,	महोदय,
Please refer to our circular No. DICGC/ RMC/ 3730/ 11.02.997/ 2017-18 dated January 19, 2018. It has been observed that DICGC has not been getting the repayments in time even though more than 10 years have lapsed in many of the banks. The Act provisions of the State Cooperative Societies Act restricts the period of liquidation to a certain period and liquidation process should start within a reasonable period of time to enable payment out of liquid funds to DICGC as specified in DICGC Act and start process of winding up. In view of the above, it has been decided to grant a further period up to September 30, 2018 to all the liquidators to carry out the process of recovery from all realisable and non-realisable assets (including sale of fixed assets). We request the RCS to issue necessary instructions immediately to all liquidators.	कृपया 19 जनवरी 2018 का हमारा परिपत्र संख्या DICGC/ RMC/ 3730/ 11.02.997/ 2017-18 देखें। यह देखा गया है कि लौटाई जाने वाली राशि का भुगतान डीआईसीजीसी को समय पर प्राप्त नहीं हो रहा और कई बैंकों के मामले में 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के अधिनियम प्रावधान एक निश्चित अवधि के लिए परिसमापन की अवधि को प्रतिबंधित करते हैं और परिसमापन प्रक्रिया उचित अवधि के भीतर शुरू होनी चाहिए ताकि डीआईसीजीसी को तरल निधि द्वारा भुगतान करना संभव हो सके, जैसाकि डीआईसीजीसी अधिकनियम में स्पष्ट किया गया है, और समापन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी वसूली योग्य और गैर-प्राप्य परिसंपत्तियों (अचल संपत्तियों की बिक्री सहित) से वसूली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी परिसमापकों को 30 सितंबर, 2018 तक की एक अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाए। हम आरसीएस से अनुरोध करते हैं कि वे सभी परिसमापकों के लिए तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करें।

भवदीय/ Yours faithfully

(वी चलपथी/ V Chalapathy)
महाप्रबंधक/ General Manager

भारतीय रि ज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008.
टेलि फोन सं.022- 23062160, 23014655, 23011991, 23084121 फैक्स: 022- 23018165, 23015662 ई-मेल: dicgc@rbi.org.in
Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571, Mumbai Central, Mumbai-400008.Tel.No. 022- 23062160-64, 23014655, 23011991, 23084121 Fax: 022- 23018165, 23015662 E-mail: dicgc@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए